लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी के माह 04/2012 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित श्री आर.एन. यादव, श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17/05/2016 से 23/05/2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 04/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. लेखापरीक्षा अवधि तक निम्नलिखित कार्यालयाध्यक्ष नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री आनन्द सिंह नेगी (कृ.भू.सं.अ.) 17/12/2013 से 30/11/2015
2. श्री देवेन्द्र सिंह राणा (कृ.भू.सं.अ.) 01/12/2015 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र0सं0	**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**	
		भाग दो 'अ'	**भाग दो 'ब'**
शून्य			

9. अप्रस्तुत अभिलेखः- माह 03/2013 के Ur संख्या 1052 से 1061

10. सतत अनियमिततायेः- कैशबुक का सही Format में न होना व Vouchers उचित क्रम में न रखा जाना।

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन		कुल व्यय	
			प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
1.	2012-13	2401	14.03	145.28	14.03	144.78
2.	2013-14	2401	12.59	188.94	12.48	171.95
3.	2014-15	2401	6.69	174.51	6.69	160.84
4.	2015-16	2401	9.87	179.60	9.87	179.60
5.	2016-17 अप्रैल 2016 तक	2401	-	77.59	-	25.96

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1- ` 40536 की रॉयल्टी के रूप में कम भुगतान करने से राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 62/VII-11-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 द्वारा रेत, पत्थर, बालू आदि उपखनिजों पर की जाने वाली रॉयल्टी की दर दुगनी कर ` 40/45 per cum से ` 80/90 per cum कर दी गयी थी तथा बढ़ी हुई दर तत्काल प्रभाव से लागू थी।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले पत्थर, रेत आदि उपखनिजों पर अधिसूचना के बाद

भी पुरानी दर से ही रॉयल्टी काटी गयी थी, जिससे राज्य सरकार को ` 40536 की कम राजस्व प्राप्ति हुई (विवरण संलग्न)।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजनाओं में रॉयल्टी का आगणन पूर्व में अनुमोदित परियोजना व्यय से किया गया है। शासनादेश देर से प्राप्त होने के कारण कम दर से रायल्टी काटी गयी है तथा वर्तमान में नयी दरों पर ही रायल्टी काटी जा रही है।

विभागीय उत्तर से स्पष्ट है कि रॉयल्टी कम दर पर काटे जाने से राज्य को ` 40536 के कम राजस्व की प्राप्ति हुई है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित सफलता न मिलना।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा कार्यालय हेतु निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगतिके लक्ष्यों एवं उनकी, पूर्ति में अत्यधिक अंतर पाया गया है। (विवरण संलग्न)। उदाहराणर्थ वर्ष 2013-14 में 11 वी योजना राष्ट्रीय जलागम में 152.75 के सापेक्ष 88, RKVY जल संभरण में 14.50 के सापेक्ष 4.50 तथा खाद्य सुरक्षा मिशन (जल संभरण) में 18.80 के सापेक्ष मात्र 5 हेक्टेयर ही भौतिक प्रगति की जा सकी थी।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि विभिन्न वर्षों में योजनाओं में आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक क्षेत्र में कार्यों का सम्पादन कराया गया है। शेष भौतिक क्षेत्र का उपचार आगामी वर्ष में धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य सम्पादन कराये गये।

साथ ही बताया गया कि धनराशि का आवंटन न होने के कारण ही वांछित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा आवंटित धनराशि समय से न मिलने के कारण अवशेष धनराशि से आगामी वर्षों में कार्यों का सम्पादन कराया जाता है।

उत्तर विरोधाभाषी है, क्योंकि यदि धन का अभाव रहता तो विभिन्न वर्षों में विभिन्न योजनाओं की धनराशि अवशेष न रहती और न ही धनराशि का समर्पण किया जाता (विवरण संलग्न)। साथ ही एक वर्ष की अवशेष धनराशि का अगले वर्ष भी उपयोग किया गया जिससे कि धनराशि की कमी को दूर किया जाता रहा है।

अतः विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति न होने का कारण कार्यान्वयन में कार्य में शिथिलता है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः2- उच्च दर पर सामग्री क्रय किये जाने के कारण ` 71417/- का अधिक भुगतान।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत जंगली जानवरों से सुरक्षा घेरबाड़ के लिए इकाई के अन्तर्गत पौड़ी ब्लाक, कोट ब्लाक तथा कल्जीखाल ब्लाक के लिए लागत ` 543.81 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी (Project approved in SLSC 28-01-2015). शासनादेश संख्या- 354/XIII-I/2014-14/RKVY/2014-15 दिनांक 25 मार्च 2015 के द्वारा रा.कृ.वि. योजनान्तर्गत Protection of Agriculture Land and Crops From wild Animals in Uttarakhand के तहत इकाई को वर्ष 2015-16 में कृषि निदेशालय देहरादून पत्रांकः कृ.नि./190/कैश रा.कृ.वि.यो.-अग्रिम/15-16 दिनांकः12 अप्रैल 2015 द्वारा ` 50.00 लाख आवंटित किया गया। उक्त आवंटन के सापेक्ष कार्य निष्पादन हेतु (क) कुजेंडा सुरक्षा हेतु घेरबाड़ निर्माण (ख) कोटसाडा सुरक्षा हेतु घेरबाड़ निर्माण (ग) थापली सुरक्षा हेतु घेरबाड़ निर्माण (घ) बूंगा-धुरोली सुरक्षा हेतु घेरबाड़ निर्माण कार्य योजना का विस्तृत आगणन तैयार किया गया।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जांच (05/2016) में पाया गया कि सीमेंट क्रय के लिए कोटेशन के आधार पर नइम आयरन मर्चेन्ट अपर बाजार पौड़ी को ` 345/- प्रति बैग की दर से सीमेंट आपूर्ति की संस्तुति की गयी थी (पत्रांक 182/कृ.भू.स.अ.पौ./आपूर्ति स्टोर/पौड़ी दिनांक 08/07/2015) परन्तु सीमेन्ट का क्रय उच्च दरों पर करन के कारण ` 71417.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

बिल सं.	क्रय सीमेन्ट बैग	दर/बैग	आपूर्ति की निर्धारित दर/बैग	निर्धारित दर से आधिक्य	आधिक्य भुगतान `
03	500	375	345	30	15,000
09	400	375	345	30	12,000
10	500	375	345	30	15,000
17	533	370	345	25	13,325
21	360	370	345	25	9,000
24	257	370	345	25	6,425
20	29	368	345	23	667
				योग	**` 71,417.00**

इसी प्रकार कांटेदा (वारवेड वायर) की सप्लाई के लिए कोटेशन के आधार पर हिमट्रेडर्स देहरादून की दरें ` 7180/- + VAT प्रति कुन्तल स्वीकृत की गयी थी जबकि उक्त मद के लिए ही कृषि निदेशालय देहरादून द्वारा निविदा आमंत्रित कर M/s Swastik wires, Raipur (C.G) की दरें न्यूनतम होने के कारण 66.19/Kg आर्थात 6619/- प्रति कुन्तल स्वीकृत की गयी थी। इस प्रकार निदेशालय की स्वीकृत दर से उच्च दर पर हिमट्रेडर्स देहरादून से बिल सं. 5 के अनुसार 20 कुन्तल कांटेदार तार क्रय किये जाने के कारण ` 18,400.00 का अधिक भुगतान किया गया (7180+359 VAT – 6619 = 920x20 = 18400)।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि योजना के संबंध में पत्रांकः कृ.नि./3961 के माध्यम से कृषि निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया था कि घेरबाड़ के निर्माण हेतु धनराशि की उपलब्धता के सापेक्ष परियोजना का चयन इस तरह से किया जाय कि परियोजना को एक ही वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दी जाय। योजना पर मार्च 2016 तक उक्त आवंटन ` 50.00 लाख के सापेक्ष के सापेक्ष ` 47.56 लाख व्यय भूगतान बाउचर के अनुसार किया गया

था जबकि प्रगति आख्या में वित्तीय प्रगति ` 50.00 लाख दिखायी गयी थी, जो वास्तविक कार्य योजना पर व्यय से ` 2.43 लाख अधिक व्यय प्रभारित करते हुए दिखाया गया था।

उक्त के संदर्भ में इंगित करने पर खण्ड ने अवगत कराया कि सीमेंट की दर बढ़ने के कारण संबंधित फर्म द्वारा पुराने दर पर सीमेंट आपूर्ति में असमर्थता जतायी गयी तथा कांटेदार तार के क्रय के संबंध में अवगत कराया गया कि कृषि निदेशालय द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट की सूचनायें 21-10-15 को प्राप्त हुई इसके पश्चात निदेशक के स्वीकृत दर के आधार पर ही कांटेदार तार की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कोटेशन के आधार पर स्वीकृत दर से उच्च दर पर सीमेन्ट क्रय किया गया था तथा कांटेदार तार का क्रय निदेशालय की स्वीकृत दर से अधिक दर पर किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त दोनों मदों पर कुल ` 89817/- (` 71417 सीमेंट + ` 18400 कांटेदार तार) का अधिक भुगतान किया गया। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Sl. No.	Name of work	MB No.	Type	Qty (Cum)	Rate	Amt (5x6)	New Rate	Amt (8x9)	Difference (9-7)
1.	सिंचाई टैंक बान गांव	02	Stone Sand	74.02 18.04	40 45	2961 812	80 90	5922 1624	2961 812
2.	सिंचाई टैंक बांधी (RKVY)	02	Stone Sand	48.58 20.99	40 45	1943 945	80 90	3886 1889	1943 944
3.	सिंचाई टैंक बिचली ढांठरी	02	Stone Sand	77.50 31.42	40 45	3100 1414	80 90	6200 2828	3100 1414
4.	पैडुल परती भूमि	03	Stone	228.77	40	9126	80	18302	9176
5.	पैडुल परती भूमि	03	Stone	42.64	40	1727	80	3411	1684
6.	तोली लगा रानाकोट (परती भूमि विकास)	04	Stone	297.43	40	11917	80	23834	11917
7.	तोली लगा रानाकोट (परती भूमि विकास	04	Stone	119.62	40	4785	80	9570	4785
8.	तोली लगा रानाकोट (परती भूमि विकास)	04	Stone	45	40	1800	80	3600	1800
								Total	**` 40536**

क्र.सं.	योजना	वर्ष 2013-14						वर्ष 2014-15						वर्ष 2015-16					
		भौतिक प्रगति (` लाख में)			वित्तीय प्रगति (` लाख में)			भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति		
		लक्ष्य	प्राप्ति	%	लक्ष्य	प्राप्ति	%	लक्ष्य	प्राप्ति	%	लक्ष्य	प्राप्ति	%	लक्ष्य	प्राप्ति	%	लक्ष्य	प्राप्ति	%
1.	11वी योजना का जलागम	152.75	88	57.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	रा.कृ.वि.यो. जल संभरण	14.50	4.50	31.03	-	-	-	243	242	99.56	20.07	11.44	57	25	23.50	94	-	-	-
3.	खाद्य सुरक्षा मिशन (जल सयं)	18.80	5	26.59	18.41	4.37	23.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	परती भूमि विकास योजना	130	113	86.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	अरहर कार्यक्रम	9.33	5.38	57.66	0.905	0.529	58.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	अजा.ज.जा. बाहु नई योजना	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	210	95.45	32.14	15.08	46.91
7.	घेरबाड़	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	237	43.65	-	-	-
	योग	**325.38**	**215.88**	**66.34**	**19.315**	**4.899**	**25.36**	**243**	**242**	**99.58**	**20.07**	**11.44**	**57**	**788**	**470.5**	**59.70**	**32.14**	**15.08**	**46.91**

संलग्नक 'ख' अवशेष/समर्पित धनराशि (` लाख में)

1. खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2013-14 में ` 13.83 लाख अवशेष
2. खाद्य दलहन तिलहन वर्ष 2013-14 में ` 1.04 लाख समर्पित
3. अरहर कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में ` 0.376 लाख समर्पित
4. RKVY जल संभरण वर्ष 2014-15 में ` 8.626 लाख अवशेष
5. SCST बाहु नई योजना वर्ष 2015-16 में ` 18.06 लाख अवशेष

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II